



राजस्थान—सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ04()एमएनजेवाई/उपकरण/2014-15/ २२५

दिनांक: १५/५

अतिआवश्यक

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वाठा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:— चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों की सूची भिजवाने के संबंध में।

मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना आपके अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 1 जुलाई 2013 से एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/डिस्पेन्सरियों पर 15 अगस्त 2013 से आरम्भ की गई थी। बार—बार निर्देशित करने के उपरान्त भी चिकित्सा संस्थानों द्वारा ई—ऑपेटिंग सॉफ्टवेयर में निशुल्क जांचों एवं लाभांवित मरीजों की संख्या का नियमित रूप से इन्ड्राज नहीं किया जा रहा है।

अतः जिन चिकित्सा संस्थानों द्वारा नियमित रूप से इन्ड्राज नहीं किया जा रहा है उनके प्रभारियों के मोबाइल पर रिपोर्टिंग नहीं करने का मेसेज भेजने हेतु चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों की नवीनतम सूचना की आवश्यकता होगी।

अतः संलग्न प्रफोर्मा में चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों की सूचना अग्रिम तीन दिवस में rmsc.mnji@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी में भिजवाने का श्रम करें।

निदेशक (जन स्वाठा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

०५/५ राजस्थान, जयपुर

एफ04()एमएनजेवाई/उपकरण/2014-15/

दिनांक :

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वाठा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
4. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, मु० नि० जांच योजना, जयपुर।
5. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वाठा अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जोनल बायो—मेडिकल इंजीनियर जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वाठा)

०५/५ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ